न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 50/2024

केशव कुमार गोयल, खादद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या, मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, अलवर।

–आवेदक

बनाम

1. श्री मौहम्मद शाद पुत्र श्री ईशा, उम्र 25 वर्ष, (विक्रेता) मैसर्स बाबा डेयरी, एस–90, रीको शॉपिंग कॉम्पलेक्स, पुरानी सब्जी मण्डी, नीमराना, अलवर निवासी बस स्टैण्ड के पास, ग्रा० मलाई, तह० हथीन, जिला पलवल (हरियाणा)।

2. श्री मौहम्मद उबेद पुत्र श्री ईशा, (मालिक) मैसर्स बाबा डेयरी, एस–90, रीको शॉपिंग कॉम्पलेक्स, पुरानी सब्जी मण्डी, नीमराना, अलवर निवासी मुगल मौहल्ला, ग्रा० मलाई, तह० हथीन, जिला पलवल (हरियाणा)।

– अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii)./51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 30-4-28

1. यह कि में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.10.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2 (क) के क्रमांक 54 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रणं, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 2714/01.09.2022 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह है कि दिनांक 20.10.2022 को बाद दोपहर 01:30 बजे मुस्तगीस बाहैसियत्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच दल के साथ मैसर्स –बाबा डेयरी, एस–90, रीको शॉपिंग कॉम्पलेक्स, पुरानी सब्जी मण्डी,

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

नीमराना, जिला अलवर स्थित दुकान पर पहुँचा। उक्त समय उक्त स्थल पर विक्रेता श्री मौहम्मद शाद पुत्र श्री ईशा स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ आमजन को बिक्री वास्ते रखे हुए थे। मैंने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री लोकेश कुमार शर्मा की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री मौहम्मद शाद पुत्र श्री ईशा, उम्र 25 वर्ष, निवासी बस स्टैण्ड के पास, ग्रा० मलाई, तह० हथीन, जिला पलवल (हरियाणा) का होना बताया एवं श्री मौहम्मद उबेद पुत्र निवासी- मुगल मौहल्ला, ग्रा० मलाई, तह० हथीन, जिला पलवल (हरियाणा) को उक्त खाद्य श्री ईशा, कारोबार का मालिक होना बताया एवं मौके पर विक्रेता द्वारा अपने एवं खाद्य कारोबार मालिक के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पंजीयन नं0 22220045000128 दिनांक 27.09.2020 से दिनांक 26.09.2025 तक का जारी होना दिखाया एवं छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि उक्त डेयरी निरीक्षण करने वर निरीक्षण के दौरान दुकान में एक डीप फ्रीज में प्लास्टिक की एक बाल्टी में करीब 6 किग्रा० पनीर आमजन को बिक्री वास्ते रखे में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री लोकेश कुमार शर्मा की उपस्थिति में विक्रेता श्री मौहम्मद शाद को जरिये फार्म फार्म नं. नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त पनीर में से 1 किग्रा० पनीर वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सूखी एवं खाली स्टील की ट्रे में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 200/- (अक्षरे दी सौ रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 1 किग्रा० पनीर का बारीक चूरा कर विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मेलीन की 20-20 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया।

लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. बी-10420 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सीलड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं0 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, अलवर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं० 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त पनीर के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 527 दिनांक 16.11.2022 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से असुरक्षित खाद्य पदार्थ (Unsafe Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि उक्त विक्रेता ने उक्त पनीर के नमूने की रेफरल लेबोरेटरी से पुनः जांच के लिए आवेदन प्रपत्र–8 में किया एवं पुनः जांच के लिए 5900 रूपये का बैंक ड्राफ्ट एवं पैकिंग सामग्री प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मु० चि० एवं स्वा० अधिकारी ने मेमोरेण्डम पत्रांक 662 दिनांक 06.12.2022 द्वारा उक्त ड्राफ्ट एवं नमूने का द्वितीय भाग पुनः जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया। प्रपत्र–8, बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति एवं मेमोरेण्डम पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि उक्त पनीर के नमूने के द्वितीय भाग कि रैफरल लैब से प्राप्त पुनः जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 213 दिनांक 14.02.2023 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। पुनः जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया है। 'जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चिं. एवं स्वा. अधिकारी अलवर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
11. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 296/15.03.2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
12. यह है कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) पनीर की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में वर्णित है। अतः न्याय निर्णयन आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

13. प्रकरण इस न्यायालय कि क्षेत्राधिकार में होने के कारण पत्रावली अपर जिला मजिस्ट्रेट अलवर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। गैर सायलान की तल्बी हेतु रजिस्डर्ड नोटिस जारी किया गया बाद तामिल अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार निमोरिया ने जबाब एवं वकालतनामा पेश किया। बाद में अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुबेसिंह यादव उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता को उपस्थित होने हेतु अवसर दिये गये इसके बावजूद भी अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित रहा इसलिए अप्रार्थीगण की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

14. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अवमानक खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके अप्रार्थीगण ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है इसलिए अप्रार्थीगण को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में दण्डित किया जावें।

15. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्राथीगण/अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय/निर्माण कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थीगण की ओर से इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह साबित हो सके उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो एवं अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुआ। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री मौहम्मद उबेद पुत्र श्री ईशा, (मालिक) मैसर्स बाबा डेयरी, एस–90, रीको शॉपिंग कॉम्पलेक्स, पुरानी सब्जी मण्डी, नीमराना, अलवर निवासी मुगल मौहल्ला, ग्रा० मलाई, तह० हथीन, जिला पलवल (हरियाणा) पर 25000/- [illegible] ....शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 30-5-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी / अति. जिला कलक्टर
एवं
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली